कार्यवृत्त

गुरूवार, 26 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1944

(दिनांक : 16 जून, 2022)

खण्ड–63
अंक–3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष ने पीठासीन होते ही सम्मानित सदन को सूचित किया कि दिनांक 14 जून, 2022 के उपवेशन में पारित कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिशों के अनुपालन में आज दिनांक दिनांक 16 जून, 2022 को चर्चा एवं मतदान हेतु लिये जाने वाले विभाग वार अनुदान की मांगों का समय नियतन अपरिहार्य कारणों से कार्यमंत्रणा समिति की बैठक न होने के कारण आज होने वाली कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के पश्चात् अनुपूरक कार्यसूची के माध्यम से सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

मा0 सदस्यों को विभागवार, अनुदानवार की मांगों का अन्तिम कार्यक्रम प्रेषित किया गया है। मा0 सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव, यदि कोई हो, अपराह्न 02:00 बजे तक विधान सभा सचिवालय को उपलब्ध करा दें ताकि अनुपूरक कार्यसूची में स्थान पा सकें।

विपक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिलों में स्थापित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में दी गई सूचना को लिये जाने की मांग की गयी। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल होने दें परन्तु मा0 सदस्य अपनी बात पर अडे रहे।

श्री अध्यक्ष ने कहा कि नियम–310 की सूचना को वे नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लेंगी। इस पर मा0 सदस्य ने अपना स्थान ग्रहण किया।

प्रश्न पूछे गये और उत्तर दिये गये।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 300 के अन्तर्गत 24 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से 07 सूचनाएं स्वीकार कर रही हैं। स्वीकृत सूचनाओं को निम्नलिखित मा0 सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया :–

1.	श्री फकीर राम टम्टा,	जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट व अन्य क्षेत्रों से कई वर्षों से तराई–भाबर क्षेत्र में बसे शिल्पकार परिवार व अन्य जातियों को सरकारी योजनाओं का लाभ एवं मालिकाना हक न दिये जाने के कारण व्याप्त सूचना के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**
2.	श्रीमती सविता कपूर,	जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र देहरादून कैन्ट क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड–33, यमुना कालोनी से गोविन्दगढ़ से हो कर जाने वाली छोटी बिन्दाल नदी की सुरक्षा दीवारों एवं चौडीकरण का सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्ताव तैयार होने के बाद भी कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**
3.	श्री प्रीतम सिंह पंवार,	सिंचाई विभाग की कनिष्ठ अभियन्ता के पदों को उत्तराखण्ड संयुक्त कनिष्ठ अभियन्ता की भर्ती में सम्मिलित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**

4. श्री प्रमोद नैनवाल, — जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत में रामनगर–भतरौजखान–रानीखेत मोटर मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गयी)**

5. श्रीमती ममता राकेश, — राज्य के अनुसूचित जाति/जनजाति के लोक सेवकों को राजकीय सेवा में पदोन्नति में आरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में। **(नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थी)**

6. श्री सुमित हृदयेश — जनपद उधमसिंह नगर में सिड़कुल, पन्तनगर की ज्यादातर कम्पनियों द्वारा 10 वर्ष की सब्सिडी लेने के पश्चात उत्तराखण्ड से अन्य राज्यों में सब्सिडी लेने के उद्देश्य से पलायन करने से कर्मचारियों के हितों की रक्षा न होने के सम्बन्ध में। **(नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)**

7. श्री शिव अरोरा, — विधान सभा क्षेत्र रूद्रपुर में दिनांक 19–20 अक्टूबर, 2021 को रूद्रपुर में भीषण बाढ़ से आई आपदा से स्थाई समाधान हेतु उच्चस्तरीय तकनीकी संस्थान से जाँच कराकर स्थाई समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में। **(नाम पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)**

संसदीय कार्य मंत्री ने उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2022 के प्रथम सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या–14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य मंत्री ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 28 की उपधारा (2) के अन्तर्गत ''उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रस्तुत वार्षिक/विशेष रिपोर्ट 2012–18 एवं 2018–19'' को सदन के पटल पर रखा।

श्री खुशाल सिंह अधिकारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद–चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विकास–खण्ड बाराकोट के सुतेड़ा से जमरेड़ी कांतेश्वर मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, ग्राम सुतेड़ा एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री खुशाल सिंह अधिकारी, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद–चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत विकास–खण्ड पाटी के ग्राम देवली से नौलियां गांव तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री गोविन्द नौलिया पुत्र श्री मोहन सिंह, ग्राम नौलिया गांव एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद–टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत घुत्तू–पंवाली काण्ठा–त्रियुगीनारायण मोटर मार्ग निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री केदार बर्त्वाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद–टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहस्त्रताल को रोपवे मार्ग से जोड़े जाने के सम्बन्ध में'' श्री केदार बर्त्वाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, विधान सभा द्वारा ''जनपद–टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत पर्यटक स्थल पंवाली काण्ठा को पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में'' श्री केदार बर्त्वाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

वनमंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी गयी। जो प्रदान की गयी।

वनमंत्री ने उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित किया।

वनमंत्री ने उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी गयी। जो प्रदान की गयी।

वनमंत्री ने उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित किया।

वन मंत्री ने उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगी गयी। जो प्रदान की गयी।

वन मंत्री ने उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित किया।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत 08 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह, श्री मौ0 शहजाद, श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री फुरकान अहमद एवं श्री रवि बहादुर, श्री हरीश सिंह धामी, श्री खुशाल सिंह अधिकारी, श्री मनोज तिवारी एवं श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रही हैं। शेष सूचना अस्वीकार हुई।

जनपद हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय से न होने के कारण विकास कार्य पूर्ण रूप से अवरूद्ध होने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री फुरकान अहमद ने विचार व्यक्त किये। मा0 वन मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग में कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं/संविदा कर्मचारियों के नियमितिकरण/तदर्थीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी ने विचार व्यक्त किये। मा0 वन मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

प्रदेश में आई आपदाओं के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री हरीश सिंह धामी, श्री खुशाल सिंह अधिकारी, श्री मनोज तिवारी एवं श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

राज्य सरकार द्वारा राज्य में आई0पी0एच0एस0 लागू करके परिवार कल्याण उपकेन्द्रों में फार्मासिस्टों के पदों को समाप्त करने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य प्रीतम सिंह ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के पश्चात श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि उत्तराखण्ड ह्यूमन राईट कमीशन की रिपोर्ट जो सदन के पटल पर रखी गयी है वो अंग्रेजी में है। जबकि इसे हिन्दी में भी होना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष ने निर्देश दिये कि भविष्य में इस तरह की रिपोर्ट हिन्दी में भी होनी चाहिए।

विधान सभा क्षेत्र लक्सर में स्थित राय बहादुर असवानी इकाई शुगर मील में शराब फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट तरल पदार्थ के निस्तारण की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, मौ0 शहजाद ने विचार व्यक्त किये। मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 सदस्य, श्रीमती ममता राकेश, श्री मनोज तिवारी द्वारा नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित प्रदेश के जिलों में स्थापित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विषयक सूचना पर विचार व्यक्त किये गये।

श्री अध्यक्ष ने 01 बजकर 58 मिनट पर सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिये स्थगित की।
सदन की कार्यवाही 03:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री गोपाल सिंह राणा, श्री तिलक राज बेहड़, श्री सुमित हृदयेश, श्रीमती अनुपमा रावत, श्री रवि बहादुर, श्री विरेन्द्र कुमार एवं श्री भुवन चन्द्र कापडी द्वारा भी नियम–310 की नियम–58 में परिवर्तित प्रदेश के जिलों में स्थापित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण विषयक सूचना पर विचार व्यक्त किये।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् श्री अध्यक्ष ने उक्त सूचना को अग्राहय किया।

मा0 संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से संतुष्ट न हो कर विपक्ष के मा0 सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े हो कर जोर जोर से अपनी बात कहने लगे श्री अध्यक्ष ने मा0 सदस्यों से स्थान ग्रहण करने के लिए कहा परन्तु मा0 सदस्य जोर जोर से अपनी बात कहते हुए 'वेल' में आ गये जिससे व्यवधान होने लगा।

03:45 मिनट पर मा0 अध्यक्ष द्वारा सदन 04:00 बजे तक के लिए स्थगित किया।

सदन की कार्यवाही 04:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

घोर व्यवधान के मध्य आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा में निम्नलिखित मा0 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये :–

1. श्रीमती शैलारानी रावत,
2. श्री शिव अरोरा,
3. श्री भरत चौधरी,

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर भाषण से आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा समाप्त हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 16 जून, 2022 की बैठक में दिनांक 16 एवं 17 जून, 2022 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

<u>दिनांकः 16 जून, 2022 (बृहस्पतिवार)</u>

1. <u>माननीय वित्त, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर, संसदीय एवं विधायी कार्य, निर्वाचन, आबकारी, जनगणना, भाषा, प्रोटोकाल मंत्री से सम्बद्ध विभाग।</u>

अनुदान संख्या– 05 निर्वाचन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(10 मिनट)**

07 वित्त, कर नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(10 मिनट)**

08 आबकारी विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(10 मिनट)**

2. <u>माननीय सिंचाई, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें, जलागम प्रबन्धन, सहकारिता मंत्री से सम्बद्ध विभाग।</u>

अनुदान संख्या 18 सहकारिता विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।**(10 मिनट)**

20 सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान**(15 मिनट)**

3. <u>माननीय लोक निर्माण, पर्यटन, औद्यानिक विकास मंत्री से सम्बद्ध विभाग।</u>

अनुदान संख्या 26 पर्यटन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(10 मिनट)**

29 औद्यानिक एवं रेशम विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **(10 मिनट)**

22 लोक निर्माण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

4. <u>माननीय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, खेल, युवा कल्याण, कला एवं संस्कृति, वन मंत्री से सम्बद्ध विभाग।</u>

अनुदान संख्या 11 शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, कला एवं संस्कृति विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

27 वन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

दिनांकः 17 जून, 2022 (शुक्रवार)

1. माननीय कृषि, कृषि विपणन, कृषि शिक्षा, पेयजल, जलापूर्ति, शहरी विकास मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या 13 जलापूर्ति, शहरी विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

2. माननीय परिवहन, नागरिक उड्डयन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या 24 परिवहन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

30 अनुसूचित जातियों का कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

31 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

3. माननीय पशुपालन, मत्स्य पालन मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या 28 पशुपालन सम्बन्धी कार्य विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

4. माननीय श्रम, सेवायोजन, आवास मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या 16 श्रम और रोजगार, आवास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

5. माननीय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, मंत्री से सम्बद्ध विभाग।

अनुदान संख्या 25 खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

15 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। (10 मिनट)

6. <u>माननीय मुख्यमंत्री से सम्बद्ध विभाग।</u>

अनुदान संख्या
01 विधान सभा के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **विवाद नहीं होगा।**
02 माननीय राज्यपाल के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **–तदैव–**
03 मंत्रिपरिषद के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **–तदैव–**
04 न्याय प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **–तदैव–**
06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
09 लोक सेवा आयोग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान। **विवाद नहीं होगा।**
10 पुलिस एवं जेल विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
12 चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
14 सूचना विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
19 ग्राम्य विकास विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
21 ऊर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।
23 उद्योग विभाग के अनुदान पर मांग, चर्चा और मतदान।

<u>विधायी कार्य</u>

1. उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2022 का विचार एवं पारण **(15 मिनट)**
2. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022 का विचार एवं पारण **(15 मिनट)**
3. उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2022 का विचार एवं पारण **(15 मिनट)**

<u>असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः–</u>

1. श्री महेश जीना, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनसंख्या सम्बन्धी मानकों में और अधिक शिथिलता प्रदान करते हुए प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बसे प्रत्येक गाँव/तोक को सड़क मार्ग से जोड़ा जाय।'' **(15 मिनट)**

2. श्री आदेश सिंह चौहान, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र जसपुर में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरवरखेड़ा को उच्चीकृत किया जाय।''**(15 मिनट)**

3. श्री सुमित हृदयेश, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में नगर निगमों के पार्षदों एवं सभासदों को मानदेय दिया जाय।''**(15मिनट)**

4. श्री प्रीतम सिंह पंवार, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य में राशन कार्डो को जमा कराये जाने से पूर्व प्रत्येक परिवार का आर्थिक सर्वेक्षण करवाया जाय।'' **(15 मिनट)**

5. श्री उमेश कुमार, ''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश के स्थानी युवाओं/बेरोजगारों को निजी संस्थानों/कम्पनियों में 70 प्रतिशत पद आरक्षित कर दिये जाय।''(15 मिनट)

<u>नियम– 105 के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं चर्चाः–</u>

1. श्री आदेश सिंह चौहान, ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि अल्पसंख्यक विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र जसपुर, जगतपुर पट्टी में महिला डिग्री कॉलेज में सह–शिक्षा (Co Education) कराया जाय।'' (15 मिनट)
2. श्री प्रीतम सिंह पंवार, ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र छाम (कण्डीसौड़) व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थतयूड़ (जौनपुर) में सभी आवश्यक सुविधायें चिकित्सकों सहित उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।''(15 मिनट)
3. श्री सुमित हृदयेश ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद नैनीताल के हल्द्वानी नगर निगम में मलिन बस्ती एक्ट, 2016 के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में निवास कर रहे नागरिकों को विस्थापित/नियमितीकरण किया जाय।''(15 मिनट)
4. श्री उमेश कुमार ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि राज्य के कार्मिकों की पेंशन की अनुमन्यता जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दी गई है, को पुनः बहाल की जाय।''(15 मिनट)

<u>असरकारी विधेयक</u>

मा0 सदस्य श्रीमती अनुपमा रावत द्वारा ''उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2022'' का पुरःस्थापन।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>वित्तीय वर्ष, 2022–2023 के आय–व्ययक की मांगों पर चर्चा एवं मतदानः–</u>

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–05 निर्वाचन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 962871 हजार (रूपये छियानवे करोड़ अठ्ठाईस लाख ईकहत्तर हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–05 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–05 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाओं के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 124104764 हजार (रूपये बारह हजार चार सौ दस करोड़ सैंतालिस लाख चौंसठ हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–07 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–08 आबकारी के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 404200 हजार (रूपये चालीस करोड़ बयालीस लाख मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–08 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–08 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–18 सहकारिता के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 2060486 हजार (रूपये दो सौ छः करोड़ चार लाख छियासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–18 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–20 सिंचाई एवं बाढ़ के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 13261887 हजार (रूपये एक हजार तीन सौ छब्बीस करोड़ अट्ठारह लाख सत्तासी हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–20 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–26 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 3568929 हजार (रूपये तीन सौ छप्पन करोड़ नवासी लाख उन्तीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–26 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–29 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 5354835 हजार (रूपये पांच सौ पैंतीस करोड़ अडतालीस लाख पैंतीस हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–29 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–11 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 104939199 हजार (रूपये दस हजार चार सौ तिरानवे करोड़ इक्यानवे लाख निनयानवे हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–11 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–27 पर्यटन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि को सम्मिलित करते हुए **रूपये 9432401 हजार (रूपये नौ सौ तैतालीस करोड़ चौबीस लाख एक हजार मात्र)** से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष द्वारा अनुदान संख्या–27 पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। किन्तु किसी भी मा0 सदस्य द्वारा कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा गया।

अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत मांग की धनराशि स्वीकृत हुई।

श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 में कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे इनमें से :–

मा0 सदस्य, श्री भुवन चन्द्र कापड़ी की सूचना जो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की वर्ष 2013 से 2017 तक की करायी गयी आडिट जांच में पायी गयी विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं के कारण राजकोष को होने वाले नुकसान के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अंतर्गत वक्तव्य के लिए तथा

मा0 सदस्य, श्री किशोर उपाध्याय की सूचना जो विधान सभा क्षेत्र टिहरी के नई टिहरी स्थित स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पास स्वयं की भूमि व भवन अभाव के कारण विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त न होने के सम्बन्ध में है, को नियम– 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रही हैं। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

मा0 मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल पीर बाबा कॉलोनी को रेलवे स्टेशन से जोड़ने हेतु पैदल सेतु का शासनादेश जारी कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2022 को दी गयी सूचना पर मा0 संसंदीय कार्य मंत्री ने नियम– 53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में वित्तपोषित एवं वित्तविहीन अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को अतिथि शिक्षकों की भांति मानदेय न मिलने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में श्री महेश जीना, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 15 जून, 2022 को दी गयी सूचना पर मा0 संसंदीय काय ने नियम– 53 के अन्तर्गत वक्तव्य दिया, जो पढ़ा हुआ माना गया।

सदन की कार्यवाही 04 बजकर 32 मिनट पर अगले दिन 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

देहरादून :
दिनांक : 16 जून, 2022

मुकेश सिंघल,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,

ऋतु खण्डूड़ी भूषण,
अध्यक्ष,
विधान सभा।